इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अगस्त 2014—श्रावण 24, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. 549-स्था.निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका बैरसिया, जिला भोपाल के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02—गांधी वार्ड 10—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 13—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	06—गोस्वामी तुलसी वार्ड 14—जयप्रकाश नारायण वार्ड 16—महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 17—रानी अवन्तीबाई वार्ड 18—छत्रपति शिवाजी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति के लिये महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02—गांधी वार्ड 10—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	06—गोस्वामी तुलसी वार्ड 17—रानी अवन्तीबाई वार्ड 18—छत्रपति शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	08—तिलक वार्ड 09—वल्लभभाई पटेल वार्ड 11—डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15—रविन्द्रनाथ टेगोर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 4 अगस्त 2014

अधि. क्र. क्यू-18 डूडा. ग्वा.-2014-202.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद्, डबरा की सीमा में वृद्धि की गई है जिसकी अधिसूचना क्र. 22-एफ-1-31-2013-अठारह-3, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रकाशित की गई है. अत: मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-2004, दिनांक 24 फरवरी 2004 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 25 फरवरी 2004 को किया गया है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगरपालिका परिषद्, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश के गठन के लिये अवधारित वार्डों की संख्या 24 में वृद्धि कर 30 वार्डों का निर्धारण अवधारित किया जाता है.

पी. नरहरि, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.